उत्तर प्रदेश सरकार
परिवहन अनुभाग-4
संख्या-575/30-4-2006-20(35)/04
लखनऊः दिनांकः 13 सितम्बर, 2006

अधिसूचना

उ0प्र0 मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 21 सन् 1997) की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल ऐसे चिन्हित यानों/बसों को, जो शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को उनके घर से विद्यालय तक और विद्यालय से घर तक ले जाने में लगायी गयी है और ऐसी संस्थाओं द्वारा स्वामित्व प्राप्त हैं जो शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को शिक्षा या प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए मान्यता प्राप्त शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्थायें है, उक्त अधिनियम के अधीन मार्ग कर के भुगतान से छूट प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

ह0/-
(राजेन्द्र भौनवाल)
प्रमुख सचिव।

संख्या-575(1)/30-4-2006, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
(2) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
(3) परिवहन आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
(4) सूचना निदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(6) समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(आशीष कुमार गोयल)
विशेष सचिव।